वैकल्पिक (प्रयोजनमूलक हिंदी)

सेम-1

राजभाषा एवं कार्यालय हिंदी के कार्य

युनिट- राजभाषा हिंदी संरचना और व्यवहार

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश

राजभाषा कार्यान्वय समितियाँ

युनिट-2-राजभाषा आयोग

राजभाषा अधिनियम-1956

राजभाषा संक्लप-1968

राजभाषा नियम-1976

राजभाषा हिंदी-संरचना और व्यवहार-हर युग में हर भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उसका साहित्यिक रूप और दूसरा कामकाजी रूप, ... प्रयोजनी, ... प्रयोजनमूलक रूप। हिन्दी का साहित्यिक रूप तो काफ़ी संपन्न है। विकसित है। इसका प्रयोजनमूलक रूप अभी अपनी शैशवावस्था में है।प्रयोजनमूलक का अर्थ है - उद्देश्य जिसे अंग्रजी में इसे फंक्शनल हिंदी कहते हैं।प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है-ऐसी शैलीयुक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंदी का प्रयोग प्रयोजनमूलक है। जिसका एक रूप राजभाषा हिंदी भी है।

राजभाषा के पहले हिंदी की भूमिका-हिंदी भाषा ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।साथ ही स्वाधीनता के विविध आंदोलनों में लोकमान्य तिलक,लाला लाजपत राय, पं.मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता माहत्मा गांधी,,राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन,डॉ.राजेन्द्रप्रसाद,सेठ गोविंददास, काका कालेलकर,राजाराम मोहनराय,दयानंद सरस्वति आदि का विशिष्ट योगदान रहा।तथा विविध सामाजिक संस्थाओं मेंब्रह्म समाज,आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि तथा साहित्यिक संस्थाओं में नागरी प्रचारिणी सभा,राष्ट्रभाषा गुजरात विद्धापीठ आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राजभाषा हिंदी से पहले संविधान पक्रिया-1938 में जवाहरलाल नहेरू द्वारा स्वतंत्र भारत के अपने संविधान निर्माण हेतु कान्स्टीचुएण्ट एसेम्बली (संविधान-सभा) की मांग रखी गई तब मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स पमीशन की रचना जिसमें दोनों पार्टियों की सहमती हो तो स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना चुनी हुई संविधान-सभा द्वारा तैयार करवाई जाए. जुलाई1946 में संविधान सभा का चुनाव जिसकी9 दिसंबर से 11दिसंबर कीबैठक में चर्चा हुई।लेकिन 26 जुलाई,1947ई.को भारत के गवर्नर ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित करने की घोषणा मुस्लिन लीग के सदस्य अलग हो गये।भारतीय संविधान के लिए शेष सभ्यों की14 अगस्त,1947 को भारतीय संविधान-सभा की पहली बैठक हुई। 29 अगस्त,1947ई. डॉ.भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग-कमिटी गठित की गई।12 सितंबर

से 14 सितंहर तक राजभाषा को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई जिसमें मे अंग्रजी के पक्षधर एन.गोपाल स्वामी आयंगर,नजरुद्दीन अहमद, फ्रेंक एंथनी,नहेरू तो हिंदी के समर्थक आर.पी.धुलेकर, लक्षानारायण साहू,अलगूराम शास्त्री आदि हिंदी के समर्थन में अपनी-अपना बात रखी । चर्चा उपरांत 14,सितंबर 1949 के दिन हिंदी राजभाषा तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकीर किया गया

राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जो राजकाज. प्रशासन-तंत्र के कार्य के संपादन को गतिविधि की कार्यकलापों की भाषा हो जैसे हर देश के अपने प्रतीक स्वरूप झंडे होते है और उसे राष्ट्रध्वज के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह हर देश की समग्रता की अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सार्वदेशिक स्वरूप रखनेवाली उसकी राजकीय गतिविधि के संपादन की एक भाषा भी होती है और उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी जाती है। परंतु ऐसे संघ राष्ट्रों में जहां देश राष्ट के भिन्न भिन्न राज्यों का अलग अलग राजभाषाएं है वहां भाषा संघ की राजभाषा होती है जो आमतौर पर समस्त देश में अथवा देश के अधिकांश भागों में परस्पर भिन्न भिन्न भाषभाषियों के बीच संपर्क माध्यम का कार्य तो करती ही है , देश की शिक्षा, देश का ज्ञान विज्ञान, रीति-नीति, कला संस्कृति आदि से संबंधित समस्त कार्यव्यापारी का निर्वाह भी करती है । हिंदी बखूबी इन दायित्वों का निर्वाह करती है । यह आजादी से पहले मुगल शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल में अनेक देशी राजाओं के राज्य की राजभाषा देश के व्यापक क्षेत्रों की संपर्क भाषा तथा मुगल एवं अंग्रेजी शासन में ऊपरी तौर पर द्वितीय राजभाषा की तरह प्रयोग की जाती रही ।

आजादी की लड़ाई में इसे विभिन्न भाषाभाषी सेनानियों के बीच भावों विचारों एवं कार्ययोजनाओं के संपादन के लिए संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया । यही कारण था कि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इस प्राजल भारतीय संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा को संघ की राजभाषा बनाने का संकल्प पारित किया।

“भारत के संविधान के अनुसार “देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी । ”

वस्तुतः संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित देश की बाइसों (22) भाषाएं देश की राजभाषाएं है । परंतु जब हम पूरे देश को ध्यान में रखकर राजभाषा की चर्चा करते हैं तो उसका एक मात्र अर्थ होता है संघ की राजभाषा जो संघ के प्रशासनिक कार्यों संघ और राज्यों के बीच संपर्क तथा अपने देश का दूसरों देशों के साथ राजनायिक संबंध और परस्पर आदान प्रदान के माध्यम के रूप में प्रायुक्त होता है ।यही हिंदी भारत के संघ की राजभाषा है।

हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किये जाने का औचित्य

हिन्दी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहां अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक ‘राष्ट्रीय भाषा’ (राष्ट्रीय भाषा से अभिप्राय राजभाषा से ही है) के लिए बताये थे-

(1) अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।

(2) उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए

(3) यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।

(4) राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।

(5) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

इन लक्षणों पर हिन्दी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है।

संघ की राजभाषा नीति-राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संबंध में भारत के संविधान में अलग-अलग उपबंध है:-

अनुच्छेद 343(1) में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343(2) में यह व्यवस्था है कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 तक उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए संविधान लागू होने से पहले किया जा रहा था।

परन्तु राष्ट्रपति इस अवधि में भी अर्थात 1965 से पहले भी आदेश निकाल कर किसी काम के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। (राष्ट्रपति के आदेश 1952, 1955 एवं 1960 में जारी किये)

अनुच्छेद 344 (1) में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो अन्य बातों के साथ-साथ संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सिफारिश करेगा। (आयोग की स्थापना 1955 में हुई और रिपोर्ट 1956 में प्राप्त हुई। इस पर 1956 में संसदीय समिति गठित की गई)।

अनुच्छेद 344 (4) में यह व्यवस्था है कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। यह समिति संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी। (1956 में संसदीय समिति गठित हुई और अब तक चल रही है) ।

अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मंडल राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को अपने सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद 348 (1) में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में की गई कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किन्तु इस

अनुच्छेद के खंड (2) में यह व्यवस्था है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य में स्थित उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय इसके लिए प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न मदों में हिन्दी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

1968 में संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया जिसके अनुसार हिन्दी के उत्तरोतर प्रयोग हेतु एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है।

अनुच्छेद 120 (1) के अनुसार संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परन्तु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकेगा। 120 (7) में राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा।

(2)राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर-

राजभाषा हिंदी-14 सितम्बर 1949 से लेकर आज तक संवैधनिक प्रावधनों एवं संकल्पों के दृढ़ आधर पर हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संवैधनिक स्तर पर भी हिंदी के अनुप्रयोगात्मक आयामों को सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों आदि में अपनाने पर जोर एवं प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। हिंदी को प्रशासनिक, कार्यालयी व व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ-साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर व अन्य यांत्रिक साध्नों की व्यवस्था व सुविधएं प्रदान की जा रही हैं।भारत के संविधन के अनुच्छेद 120 (1द्ध और 343 से 351 तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध् में अलग-अलग प्रावधन हैं। इसका प्रारंभिक उल्लेख-अनुच्छेद 343 (1द्ध में इस प्रकार हुआ है- 'संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।उसी अनुच्छेद के खण्ड (2द्ध में यह व्यवस्था की गई है कि इस संविधन के आरंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा।

अनुच्छेद 120 (1द्ध के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चलाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त सदस्य विशेष को सभापति या अèयक्ष के आदेश से अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का प्रावधन भी है।

अनुच्छेद 351 संविधन विषयक भाषा नीति का मुख्य अंग है। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास-प्रसार हेतु प्रयत्न करेगी, जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके। साथ ही हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समद्ध किया जाए।

सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम जारी किया गया और उसके पश्चात राजभाषा (संशोधित) अधिनियम 1967 द्वारा घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी, साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सह राजभाषा के रूप में होता रहेगा।

सन 1976 में राजभाषा अधिनियम का निर्माण किया गया। इसके नियमों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाजी हिंदी में कर सकता है। संवैधनिक सिथति के अनुसार विभिन्न मंत्राालयों द्वारा राजभाषा हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों जैसे- चिकित्सा, मानविकी, रेल, सूचना व प्रसारण-विज्ञान, गणित, डाक व तार आदि की तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की दृषिट से विकसित किया जा रहा है। हिंदी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर आदि की सहायता से भी कार्यालयी स्तर पर राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रादेशिक प्रशासन में दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मèयप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा बिहार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। परंतु वर्तमान सिथति को पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हिंदी दिवस मना लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसका व्यापक प्रचार व अनुप्रयोग आवश्यक है।

राष्ट्रभाषा हिंदी-राष्ट्रभाषा का संबंध् राष्ट्रवादिता से माना जाता है। जब किसी राष्ट्र की कोई एक भाषा विभिन्न राजनीतिक, धर्मिक, सांस्Ñतिक कारणों से समग्र राष्ट्र के सार्वजनिक प्रयोग में आ जाती है, उसमें देश की संस्Ñति एवं उसमें ब(मूल आदर्शों की अनिवति होती है तथा उसकी प्रÑति और साहित्य में यह सामथ्र्य होती है कि देश की अन्य भाषाओं को बिना उसकी प्रगति में बाध्क हुए अपने साथ ले चल सके, तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी ने एक लंबी ऐतिहासिक और प्राÑतिक प्रक्रिया से गुजर कर राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किया और क्रमश: बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय होती जा रही है।

वास्तव में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्Ñतिक और व्यापारिक कारणों से हिंदी प्राचीनकाल से ही अपने विविध् रूपों में भारत के प्राय: सभी प्रदेशों में प्रचलित रही है। बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में यह केवल अपने मूल स्थान दिल्ली, मेरठ के आस-पास की सीमित जनबोली थी।

लगभग छ:-सात सौ वर्षों तक यह बोली के रूप में प्रचलित रही, इसकी अपेक्षा इसके साथ की अन्य बोलियाँ जैसे अवध्ी, ब्रज, आदि अधिक विकसित हुई और 'भाषा के रूप में उच्च साहित्य का माèयम बनीं। मुगल काल में पफारसी का प्रभुत्व रहा तथा अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हुआ लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्(से ही ऐसी सिथतियां बनती गई, जिनके कारण खड़ी बोली ने अत्यंत तीव्रता से भाषा का दर्जा प्राप्त किया और लगभग एक सौ वर्ष के भीतर ही हिंदी का मानक स्वरूप निर्धरित हो गया। स्वतंत्राता प्रापित के बाद संवैधनिक तौर पर हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्Ñतिक और साहितियक दृषिट से इसका विशेष महत्त्व है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसके प्रयोक्ताओं की

संख्या बहुत अधिक है, मारिशस, सूरीनाम, नेपाल, रूस, जर्मनी तथा कई यूरोपीय देशों में भी शिक्षण तथा साहित्य के स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार है।

हिंदी के राष्ट्रभाषा रूप की अवधरणा मुख्यत: राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुई। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्रा में बांध्ने, और अपनी जातीय असिमता को जगाकर स्वतंत्राता प्राप्त करने की प्रेरणा देने के लिए सभी राजनेताओं, विद्वानों व साहित्यकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया।

राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त वहाँ की राजभाषा का भी विशिष्ट महत्त्व है। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा का विकास स्वत: स्पूफर्त और प्रवाहमान होता है जबकि राजभाषा शासन तंत्रा की नीतियों के संयोजन का साध्न। वह प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा होती है। किन्तु किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद जनमानस के व्यवहार के बिना नहीं मिलता।

किसी भी सभ्य समाज में या राष्ट्र में विचार-विनिमय के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है जो संपूर्ण समाज या राष्ट्र में समान रूप से समझी और बोली जाए। इस व्यापक संप्रेषणीयता और सुग्राáता की दृषिट से सर्वसाधरण से लेकर शिक्षित वर्ग तक सभी के द्वारा प्रयुक्त होने वाला हिंदी का सर्वमान्य रूप राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीÑत है। इस तरह अपने दोनों रूपों-राष्ट्रभाषा और राजभाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है क्योंकि इनमें अन्त:संबंध् है। 'राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण देश में प्रयुक्त होने वाली सर्व-स्वीÑत भाषा होती है जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली 'राजभाषा घोषित की जाती है। समृ(देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग होता है, जैसे जापान, अमेरीका, इंग्लैण्ड, प्रफांस, जर्मनी, रूस आदि देश। इस दृषिट से भारतवर्ष भी समृ(देश है जहाँ हिंदी ही अपने तीनों रूपों में प्रयुक्त होती है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी तथा सम्पर्क भाषा भी। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो रहा है। हिंदी की गुणवत्ता का अनुभव सभी राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, विद्वानों, लेखकों और सâदय सामाजिकों ने किया है। किन्तु हिन्दी के प्रगामी विकास की दिशा में सबसे बड़ी बाध प्रयोग और व्यवहार के स्तर पर उपेक्षा और उदासीनता की है।

(3)जभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश- राष्ट्रपति का आदेश 1952

राष्ट्रपति ने अपने 27 मई, 1952 के आदेश द्वारा राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

राष्ट्रपति का आदेश 1956

राष्ट्रपति ने यह आदेश किया कि संघ के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा:

1. जनता के साथ पत्र व्यवहार।
2. प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकाएं और संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट।
3. सरकारी संकल्प गैर विधायी अधिनियम ।

4. जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उन से पत्र-व्यवहार।
5. संविदा एवं करार।
6. अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र व्यवहार।
7. राजनयिक और काउंसलिंग पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राष्ट्रपति का आदेश 1960

27 अप्रैल, 1960 को राष्ट्रपति ने संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करके निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश दिए-

1. विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना।
2. अनुवाद में एकरूपता लाने के लिए एक अधिकरण की स्थापना।
3. विधि शब्दावली तैयार करने के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना।
4. हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. हिंदी के प्रचार के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता।
6. हिंदी भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आंतरिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करें।
7. शिक्षा संबंधी कुछ या सभी आयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
8. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग।
9. वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांख्यिकीय प्रयोजनों में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग।
10. हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए योजना।

अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष इसके लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न मदों में हिंदी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

1968 में संसद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया है जिसके अनुसार हिंदी के उत्तरोतर प्रयोग हेतु एक आर्थिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया और प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई।

राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफ़ारिशों पर अमल करने की दृष्टि से 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया जिसमें 1967 में संशोधन किया गया। संशोधित राजभाषा अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं-

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार उन सभी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 से पूर्व अंग्रेजी इस्तेमाल की जा रही थी, 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा।

केंद्रीय सरकार और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के साथ पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते कि उस राज्य ने इसके लिए हिंदी के प्रयोग को स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार हिंदी भाषी सरकारें भी उपर्युक्त राज्य सरकार के साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगी और यदि वे ऐसे राज्यों को पत्र हिंदी में भेजे तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक पत्र का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

Unit–2 राजभाषा आयोग-

(1)राजभाषा अधिनियम-

राजभाषा अधिनियम की **धारा 3(3)** के अनुसार निम्नलिखित के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग अनिवार्य हैः-

1. संकल्प
2. सामान्य आदेश
3. नियम
4. अधिसूचनाएं
5. प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट या प्रेस विज्ञप्तियां
6. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई अन्य रिपोर्ट और अन्य सरकारी कागज-पत्र
7. करार
8. लाइसेंस
9. परमिट
10. निविदा सूचना और इनके प्रारूप तथा आरक्षण चार्ट।

अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार इस अधिनियम के अधिनियम बनाते समय- समय यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रवीण कर्मचारी प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उनका अहित न हो।

संशोधित अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में यह व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसे समाप्त करने के लिए हिंदी के राजभाषा के रूप में न मानने वाले राज्यों के विधान मंडल संकल्प पास न करें और उसके बाद ऐसा कार्य करने के लिए संसद संकल्प पास न करें।

राजभाषा नियम की धारा 4 में 26 जनवरी 1976 के बाद संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति के 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। यह समिति संघ के प्रयोजनों के लिए हिंदी प्रयोग की प्रगति की जांच करेगी और रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करेगी। राजभाषा संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारी अपने कामकाज में हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा का प्रयोग करने में स्वतंत्र है और हिंदी या अंग्रेजी भाषा में तैयार किए गए नोट या ड्राफ़्ट का दूसरी भाषा में अनुवाद उसे स्वयं नहीं देना पड़ता किन्तु कुछ प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है। इस तरह सरकारी कामकाज में द्विभाषिक स्थिति काफी अर्से तक चलेगी। इस द्विभाषिक नीति के लिए यह जरूरी है कि हिंदी न जानने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हिंदी सीखें ताकि वे हिंदी में लिखे हुए नोट और मसौदे पढ़ और समझ सके।

केंद्रीय सरकार ने 20 जून, 1976 को राजभाषा (संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 अधिसूचित तथा 1987 में संशोधित किए हैं। इन नियमों की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं-

नियम 3(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्र आदि हिंदी भाषी राज्यों के जिन्हें "क" क्षेत्र के राज्य कहा गया है या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालय या अन्य व्यक्ति को हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामले में कोई पत्र इन्हें अंग्रेजी में भेजा जाता है, तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा।

नियम 3(2)(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़ क्षेत्रों के प्रशासनों को जिन्हें "ख" क्षेत्र में शामिल किया है सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा।

नियम 3(2)(ख) लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से किसी भाषा में भेजे जा सकते हैं।

नियम 3(3) अन्य अहिंदी भाषी राज्यों जिन्हें "ग" क्षेत्र कहा गया है किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे।

नियम 3(4) इन "ग" राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" अथवा "ख" क्षेत्र की सरकारों, उनके कार्यालयों आदि को पत्रादि हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 4(क) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है।

नियम 4(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी में ऐसे अनुपात में होगा, जिसे सरकार निर्धारित करेगी।

नियम 4(ग) "क" क्षेत्र में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार हिंदी में होगा।

नियम 5 हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे।

नियम 6 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयोग में लाई जाएगी और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।

नियम 7(2) हिंदी या हिंदी में हस्ताक्षर किए आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

नियम 7(3) यदि कोई कर्मचारी सेवा संबंधी विषयों से संबंधित कोई आदेश या सूचना यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में चाहता हो तो उसे उसी भाषा में दी जायेगी। केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी या प्रारूप लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

नियम 8(2) विशिष्ट दस्तावेज, विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।

नियम 8(4) अधिसूचित कार्यालयों में से कुछ को पूरी तरह या उनके कार्य की कुछ मदों को विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाइड) किया जा सकता है ताकि उनमें काम करने वाले हिंदी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सके।

नियम 10(4) जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो उन कार्यालयों को अधिसूचित किया जा सकता है।

नियम 11(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में संबंधित सभी नियमावली, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक (डिग्लॉट) रूप में तैयार किए जाएंगे।

(2)राजभाषा संकल्प, 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

संकल्प-"संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है :

1.यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एंव विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी ।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है , और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए जाने चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें ।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए ;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है कि-

(क) उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा; और

(ख) परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी ।"

(3) राजभाषा नियम 1976

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिससे हिन्दी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिली है। इस नियम की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं-

1.केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में भेजे जायेंगे। यदि किसी ख़ास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा।

2.केंद्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र) के प्रशासनों को भेजे जाने वाले

पत्र आदि सामान्यत: हिन्दी में भेजे जायेंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेज़ी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जायेगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य का संघ क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जायेंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी साथ भेजा जायेगा।

केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेज़ी में हो सकता है। किंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिन्दी में होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई पत्र व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। क' क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के किन्हीं दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र व्यवहार हिन्दी में ही किए जाने का प्रावधान है।

हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जायेंगे। हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षर किये गए आवेदनों या अभ्यावेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जायेंगे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी।

केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फ़ाइलों में हिन्दी या अंग्रेज़ी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेज़ी, दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जायेंगे। सभी फ़ार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नापमट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिन्दी और अंग्रेज़ी में द्विभाषिक रूप में होंगी।

जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी या कार्य साधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जायेगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करके उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग, ड्राफ़्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है।

प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर है। इस नीति के समन्वय का कार्य राजभाषा विभाग करता है। यह विभाग समन्वय के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को जारी करने के अलावा अन्य कई समितियों के माध्यम से यह कार्य कर रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है-

1.केंद्रीय हिन्दी समिति - हिन्दी के विकास और प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का समन्वय करने और नीति संबंधी दिशा-निर्देश देने वाली यह सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केंद्रीय सरकार के 11 मंत्री एवं राज्य मंत्री, राज्यों के 8 मुख्यमंत्री, 7 संसद सदस्य तथा हिन्दी के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इसके सदस्य सचिव हैं।

2.हिन्दी सलाहकार समितियाँ – सरकार का यह निर्णय है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित की जाएँ। इस निर्णय के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में संसद सदस्यों तथा हिन्दी विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। वे अपने-अपने मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में आवश्यक विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं।

राजभाषा संबंधी कुछ प्रश्न और	उनके उत्तर
1. भारत संघ की राजभाषा क्या है ? -	देवनागरी लिपि में हिंदी
2.राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ?	देवनागरी
3.संसद में संविधान का भाग XVII किस तारीख को पारित हुआ ?	14.09.1949
4.राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ ?	10.05.1963
5.राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित था ?	1967
6.राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत तीन क्षेत्र क्या-क्या हैं ?	क, ख व ग क्षेत्र
7.हर साल ' हिंदी दिवस ' कब मनाया जाता है ?	14 सितंबर को
8.राजभाषा नियम के अनुसार, अंदमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है?	“क” क्षेत्र
9.“ख” क्षेत्र में वर्गीकृत एक मात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या ?	चंडीगढ़
10.अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है ?	अंग्रेज़ी
11.राजभाषा विभाग का “राभाकास” से क्या मतलब है ?	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
12.केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है ?	तीन
13.केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है?	प्रबोध
14.केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है?	प्रधान मंत्री
15.संबंधित मंत्रालय/विभाग में हिंदी के प्रचार-प्रसार की प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है?	हिंदी सलाहकार समिति
16.संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ ?	जनवरी 1976
17.संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं?	30
18.राजभाषा की संसदीय समिति में लोक सभा के कितने सदस्य हैं ?	20

19.फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप-समितियाँ हैं? 3 उप समितियाँ

20.प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
नगर के वरिष्ठतम अधिकारी

21.राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? 3 महीने में एक बार

22.नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? 6 महीने में एक बार

23.राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

24.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या-क्या है? प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ

25.अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? राजभाषा) संशोधित (अधिनियम - 1967

26.राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? 26 जनवरी 1965

27.राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा) क्ज् (किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है।

28.राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में हैं ? भाग-XVII - सत्रहवें भाग

39.राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है?
उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग के संबंधमें

30.राजभाषा अधिनियम 1963, की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नही होती? जम्मू कश्मीर

31.किन-किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? आंध्रप्रदेश व बिहार

32.रेल मंत्रालय को संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी उपसमिति निरीक्षण करती है? दूसरी उप समिति

33.केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है ? प्राज्ञ

34.हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकारी कर्मचारियों को कौन-कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं? नियमित, गहन, पत्राचार एवं प्राइवेट

35.साल में कितनी बार हिंदी परीक्षाएँ चलाई जाती हैं? - दो बार

36.हिंदी परीक्षाएँ किन-किन से महीनों में चलाई जाती हैं? - मई व नवंबर

37.कोटि "क" में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? -जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिन्दुस्तानी या उसकी बोली

38.कोटि " ख " में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिन्धी या सह भाषा

39.कोटि "ग" में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उडिया या असामी

40.कोटि " घ " में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेज़ी बोलते हैं।

41.कोटि "ग" के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? प्रवीण

42.कोटि " घ " के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है? प्रबोध

43.नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना है? 1. प्रादेशिक भाषा 2. हिंदी 3. अंग्रेज़ी

44.आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाना है?

त्रिभाषी) प्रादेशिक, हिंदी व अंग्रेज़ी(

45.रबड़ मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी रूप में - एक लाइन हिंदी एक लाइन अंग्रेज़ी

46.हर साल हिंदी संबंधी कौन-सा समारोह मनाया जाता है? राजभाषा उत्सव व हिंदी दिवस

47. आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का नाम लिखिए-: असमिया,बंगला,गुजराती,हिंदी,कन्नड, कश्मीरी,कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, संताली,डोंगरी, बोडो कुल(22)

48.“ ख ” क्षेत्र में आने वाले राज्यों को बताइए-: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र

49.फिलहाल संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सम्मिलित हैं? बाईस

50.संविधान के भाग-V में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120

51.संविधान के आठवीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए? अनुच्छेद 344(1) 351

52.राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था ? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए

53.राजभाषा नियम कब पारित हुआ ? 1976

54.संविधान के XVII भाग में कितने अनुच्छेद है? 9 नौ

55.केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन-सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएँ चलाता है? गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना

56.अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई ?
वर्ष 1955 में

57.राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? - जी.वी.पंत

58.संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधि मंत्रालय

59.1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन-सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन-सी भाषा सहायक राजभाषा ? अंग्रेज़ी मुख्य राजभाषा तथा हिंदी सहायक राजभाषा

60.भाग VI में कौन-सी अनुच्छेद है? अनुच्छेद 210

61.वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता

62.संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है?

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति

ज्ञानार्थ प्रवेश

63.“ क ” क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं?

बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंदमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र

64.“ क ” क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं?

“ क ” और “ ख ” क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है .तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उडीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू व कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र, दोयू व दामन, दादरा नागर, हवेली व लक्ष्द्वीप

`डॉ.जशाभाई पटेल
नरोड़ा कॉलेज

जशाभाई पटेल